

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०**

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 96/2010

वादीगण :-

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. लक्ष्मी पुत्री हरजीराम  
जाति-नायक पत्नी जगदीश  
जाती-नायक निवासी-आसरलाई हाल  
निवासी-बिरांटिया कलां  
तहसील-रायपुर, जिला-पाली
2. पप्पुड़ी पुत्री हरजीराम पत्नि  
भूण्डाराम जाति-नायक,  
निवासी-आसरलाई, हाल  
निवासी-निम्बेड़ा, तह.-जैतारण,  
जिला-पाली (राज.)

1. मोडाराम पुत्र भूराराम फौत के  
कायम मुकामान :-  
1/1 मूलाराम पुत्र मोडाराम फौत  
के कायम मुकामान :-  
1/1/1 नाथूराम पूत्र मूलाराम  
1/1/2 दूदाराम पुत्र मूलाराम  
1/1/3 लक्ष्मी पत्नि मूलाराम
2. गेन्दूड़ी पुत्री उदा
3. कमला पुत्री उदा
4. रतनी पुत्री पुत्री पूना
5. गीता पुत्री पुना
6. लक्ष्मी पत्नि झूमरराम
7. संगीता पुत्री झूमरराम पत्नि  
भूराराम जातियान-नायक,  
निवासी-आसरलाई,  
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
8. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजु: 01-09-2012

उपस्थित:- 1. श्री देवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री महेन्द्र गुरा एवं श्री अरुण सिंह, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 10/06/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में जमीन खसरा नम्बर 572 रकबा 19-11 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 2-01 बीघा बाराणी अव्वल, खसरा नम्बर 651 रकबा 0-06 बिस्वा किस्म गै०मु०बाड़ा, खसरा नम्बर 1058 रकबा 20-06 बीघा बाराणील अव्वल, खसरा नम्बर 1059 रकबा 09-16 बीघा खसरा नम्बर 1065 रकबा 12-00 बीघा बाराणी दोयम, खसरा नम्बर 1066 रकबा 12-15 बीघा किस्म बा०दो०, कुल किता-7 कुल रकबा 77-07 बीघा लगान 7.75 रुपये व 32-74 रुपये आई हुई है। उक्त भूमि वादीगण के खातेदारी कब्जा काश्त की पैतृक पुश्तैनी आई हुई है। जिसकी नकल जमबंदी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति के साथ पेश की जा रही है, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 6.7 की दादी गलूड़ी का 1/4 हिस्सा आता है। उपरोक्त मुतनाजा जमीन में वादीगण का 1/4 का 1/3 यानि 1/12 वादी सं० 1 का व वादी संख्या 2 का भी 1/12 यानि कुल भूमि का वादीगण 1/6 हिस्सा आता है। जिसके वादीगण रेकोर्डेड काबिल खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि पर वादीगण वैज्ञानिक तरीके से खेती करना चाहते हैं एवं ऋण लेना चाहते हैं। इसलिये दिनांक 15/07/2010 को वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण से भूमि का बंटवाड़ा करवाने को कहाँ लेकिन प्रतिवादीगण ने ईन्कार कर दिया। तब उक्त वाद बंटवाड़ा का

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

श्रीमान् के समक्ष विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश कर दिया। वादीगण उक्त भूमि के 1/6 हिस्से के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार हैं। अपने कब्जे काश्त की भूमि में खेती करते हैं तो प्रतिवादीगण उसमें दखलन्दाजी करेंगे, तो वादीगण अपने कानूनी साम्पैतिक अधिकारों से महरूम हो जायेंगे, जिसके लिये वादीगण को विभिन्न प्रकार के दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे वादीगण जैर बार हो जायेंगे। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। इसलिये यह वाद पत्र बाबूत स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 8 राज्य सरकार भूमिधारी तहसीलदार जैतारण बंटवाड़ा के वाद में पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। बिनाय वाद दिनांक 15/07/2010 को सरहद मौजा-आसरलाई में प्रतिवादीगण ने वादीगण को बंटवाड़ा कराने का मना करने पर बमुकाम आसरलाई तहसील-जैतारण में पैदा हुआ है, जो अन्दर म्याद व क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार अदालत हाजा के हैं।

इस प्रकार माफिक दावा वादीगण ने वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - आसरलाई में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में जमीन खसरा नम्बर 572 रकबा 19-11 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 2-01 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 651 रकबा 0-06 बिस्वा किस्म गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर 1058 रकबा 20-06 बीघा बारानील अव्वल, खसरा नम्बर 1059 रकबा 09-16 बीघा खसरा नम्बर 1065 रकबा 12-00 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1066 रकबा 12-15 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-7 कुल रकबा 77-07 बीघा भूमि स्थित हैं। जिसमें वादीया तथा प्रतिवादीगण का माफिक राजस्व रिकॉर्ड हिस्सा आता हैं। इसी अनुसार मौके पर काबिज हैं तथा इसी अनुसार बंटवाड़ा कराने पर सहमत हैं। इसी अनुसार मौके पर पत्थरगढ़ी नापचौप कर करावें। तहसीलदार, जैतारण ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय रुबरु उभय पक्षों व मौतबिरानों के तैयार करवाकर फर्द मौका मय नजरी नक्शा आज दिनांक 10/06/2015 को ही पेश किया, सामिल मिसल किया गया। उभय पक्षकारानों मय वकुलाय को सुना गया। वस्तुतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा पक्षकारों में विवादित आराजी की भूमि का बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

--:: आदेश ::--

अतः माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आसरलाई, पटवार क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में जमीन खसरा नम्बर 572 रकबा 19-11 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 2-01 बीघा बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 651 रकबा 0-06 बिस्वा किस्म गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर 1058 रकबा 20-06 बीघा बारानील अव्वल, खसरा नम्बर 1059 रकबा 09-16 बीघा खसरा नम्बर 1065 रकबा 12-00 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1066

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

रकबा 12-15 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-7 कुल रकबा 77-07 बीघा का निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगाव
1	लक्ष्मी पपुड़ी पुत्रियाँ हरजी, लक्ष्मी बेवा झुमरराम, संगीता पुत्री झुमरराम कौम-नायक सा0 देह खातेदार।	1059/3	6-09-00	बा0अ0	1.52 रु0
		1058/3	6-09-00	बा0अ0	3.16 रु0
		1066	6-09-00	बा0दो0	3.96 रु0
		योग			
2	मोडा पुत्र भुरा कौम-नायक सा0 देह खातेदार। रहन-भू.वि.बैंक शाखा-जैतारण	3	13-19-00		8.64 रु0
		572	4-16-00	बा0अ0	13.05
		575	2-13-00	बा0अ0	रु0
		1058/2	5-03-00	बा0अ0	
		1059/2	2-09-00	बा0अ0	
165	6-00-00	बा0दो0			
योग					
3	कमला पुत्री उदा कौम-नायक सा0 देह खातेदार। रहन-भू.वि.बैंक पाली शाखा-जैतारण	5	21-01-00		13.05 रु0
		572/1	7-07-00	बा0अ0	13.05
		1058	4-18-00	बा0अ0	रु0
		1059/1	2-09-00	बा0अ0	
1066/1	6-07-00	बा0दो0			
योग					
4	रतनी गीता पि0 पूना कौम-नायक सा0 देह खातेदार। रहन-SBBJ शाखा-निमाज	4	21-01-00		13.05 रु0
		572/2	7-08-00	बा0अ0	13.04
		1059	2-09-00	बा0अ0	रु0
		1058/1	5-03-00	बा0अ0	
1065/1	6-00-00	बा0दो0			
योग					
5	मोडा पुत्र भुरा, कमला पुत्री उदा, रतनी गीता पि0 पूना, लक्ष्मी पपुड़ी पुत्रियाँ हरजी, लक्ष्मी बेवा झुमरराम, संगीता पुत्री झुमरराम कौम-नायक सा0 देह खातेदार। रहन-मोडा, उदा का हिस्सा भू.वि.बैंक शाखा-जैतारण व रतनी गीता पि0 पूना का हिस्सा SBBJ शाखा-निमाज	651	0-06-00	गै.मु. बाड़ा	13.04 रु0

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 10/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।



निर्णय आज दिनांक 10/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित अटल

सेवा केंद्र-आसरलाई पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी जैतारण  
जिला-पाली (राज0)

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

(ओ 21 रुल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत  
बईजलास  
वादीगण :-

:- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
:- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0  
बनाम प्रतिवादीगण :-

1. लक्ष्मी पुत्री हरजीराम  
जाति-नायक पत्नी जगदीश  
जाती-नायक निवासी-आसरलाई हाल  
निवासी-बिरांटिया कलां  
तहसील-रायपुर,जिला-पाली  
2. पप्पुड़ी पुत्री हरजीराम पत्नि  
भूण्डाराम जाति-नायक,  
निवासी-आसरलाई, हाल  
निवासी-निम्बेड़ा, तह.-जैतारण,  
जिला-पाली (राज.)

1. मोडाराम पुत्र भूराराम फौत के  
कायम मुकामान :-  
1/1 मूलाराम पुत्र मोडाराम फौत  
के कायम मुकामान :-  
1/1/1 नाथूराम पूत्र मूलाराम  
1/1/2 दूदाराम पुत्र मूलाराम  
1/1/3 लक्ष्मी पत्नि मूलाराम  
2. गेन्दूड़ी पुत्री उदा  
3. कमला पुत्री उदा  
4. रतनी पुत्री पुत्री पूना  
5. गीता पुत्री पुना  
6. लक्ष्मी पत्नि झूमरराम  
7. संगीता पुत्री झूमरराम पत्नि  
भूराराम जातियान-नायक,  
निवासी-आसरलाई,  
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)  
8. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील जैतारण (जिला-पाली)  
मु0न0 :रा0वा0 स0: 96/2010

राजस्व वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई  
निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व  
हाजरी श्री देवेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुब्दई व श्री महेन्द्र गुर्रा एवं  
श्री अरुण सिंह, अधिवक्तागण, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुब्दायलाह पेश होकर हुक्म  
दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक  
वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद  
मौजा-आसरलाई, पटवार क्षेत्र-निमाज, तहसील-जैतारण, जिला-पाली में जमीन खसरा  
नम्बर 572 रकबा 19-11 बीघा, खसरा नम्बर 575 रकबा 2-01 बीघा बारानी  
अव्वल, खसरा नम्बर 651 रकबा 0-06 बिस्वा किस्म गै0मु0बाड़ा, खसरा नम्बर  
1058 रकबा 20-06 बीघा बारानील अव्वल, खसरा नम्बर 1059 रकबा 09-16  
बीघा खसरा नम्बर 1065 रकबा 12-00 बीघा बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1066  
रकबा 12-15 बीघा किस्म बा0दो0, कुल किता-7 कुल रकबा 77-07 बीघा का  
निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लक्ष्मी पपुड़ी पुत्रियाँ हरजी, लक्ष्मी बेवा झूमरराम, संगीता पुत्री झूमरराम कौम-नायक सा0 देह खातेदार।	1059/3	6-09-00	बा0अ0	1.52 रु0
		1058/3	6-09-00	बा0अ0	3.16 रु0
		1066	6-09-00	बा0दो0	3.96 रु0
	योग	3	13-19-00		8.64 रु0
2	मोडा पुत्र भुरा कौम-नायक सा0 देह खातेदार। रहन-भू.वि.बैंक शाखा-जैतारण	572	4-16-00	बा0अ0	13.05 रु0
		575	2-13-00	बा0अ0	रु0
		1058/2	5-03-00	बा0अ0	
		1059/2	2-09-00	बा0अ0	
		165	6-00-00	बा0दो0	
	योग	5	21-01-00		13.05 रु0

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

3	कमला पुत्री उदा कौम-नायक सा० देह खातेदार। रहन-भू.वि.बैंक पाली शाखा-जैतारण	572/1 1058 1059/1 1066/1	7-07-00 4-18-00 2-09-00 6-07-00	बा०अ० बा०अ० बा०अ० बा०दो०	13.05 रु०
योग		4	21-01-00		13.05 रु०
4	रतनी गीता पि० पूना कौम-नायक सा० देह खातेदार। रहन-SBBJ शाखा-निमाज	572/2 1059 1058/1 1065/1	7-08-00 2-09-00 5-03-00 6-00-00	बा०अ० बा०अ० बा०अ० बा०दो०	13.04 रु०
		4	21-00-00		13.04 रु०
5	मोडा पुत्र भुरा, कमला पुत्री उदा, रतनी गीता पि० पूना, लक्ष्मी पपुड़ी पुत्रियाँ हरजी, लक्ष्मी बेवा झुमरराम, संगीता पुत्री झुमरराम कौम-नायक सा० देह खातेदार। रहन-मोडा, उदा का हिस्सा भू.वि.बैंक शाखा-जैतारण व रतनी गीता पि० पूना का हिस्सा SBBJ शाखा-निमाज	651	0-06-00	गै.मु. बाड़ा	

तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 10/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।  
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 10/06/2015 को जारी किया गया।

उपरखण्ड अधिकारी, जैतारण  
(जैतारण, पाली)

मुद्दाई	रुपये	पैसे	मुख्यायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	03	00	महनताना वकील		
महनताना वकील	03	00	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान:-	10	00	मिजान:-	02	00

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे।